Department of Medical Health & Family Welfare
Government of Uttar Pradesh

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

सत्यमेव जयते
national health agency

SACHIS

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आशा बहुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

www:pmjay.gov.in

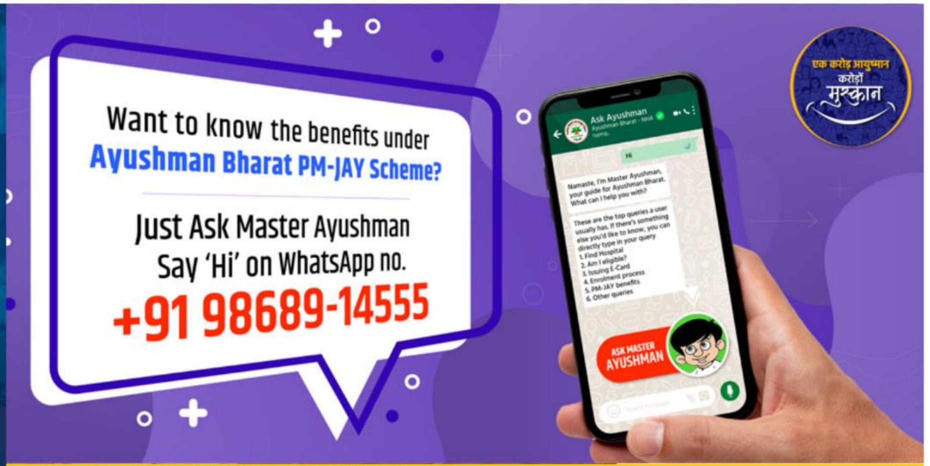

आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

www:pmjay.gov.in

www:ayushman up.in

प्रशिक्षण से पहले पूछे जाने वाले सवाल

1 आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में क्या जानते हैं?

2 क्या आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ही हैं?

3 क्या कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है?

4 क्या सुविधा का लाभ न उठाने की एवज में सरकार इस राशि का भुगतान भी करेगी?

5 क्या सभी अस्पतालों में यह योजना उपलब्ध है?

6 इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है?

क्या है आयुष्मान योजना ?

ACCESS health international

आयुष्मान अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जानी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य समाज के पिछड़े, अति गरीब, वंचित लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा कर उनका स्वास्थ्य व्यय जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को समाज में और नीचे गिरा देता है, उससे निजात दिलाने का है।

इस योजना के दो अवयव हैं

हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स जिसमे सब सेंटर्स तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड एवं उचित सुविधाओं से लैस करके जनता की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत वर्तमान में चिन्हित लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपैये तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देना है जिसमे गंभीर बिमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायलिसिस एवं कूल्हा प्रत्यारोपण शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

प्रति परिवार
प्रति वर्ष
५,००,०००
रुपैये तक का
स्वास्थ्य बीमा
यानि की
नि:शुल्क स्वस्थ्य
सुविधाएँ

वर्तमान समय में
वह ऐसे परिवार
जो एस ई सी सी
सेन्सस डाटा २०११
की अभावग्रस्तत्ता
एवं ऑक्यूपेशनल
आधार पर चिन्हित
किये थे इस योजना
में शामिल

योजना के
अंतर्गत सूचीबद्ध
सभी सरकारी
एवं प्राइवेट
अस्पतालों में
इस योजना का
लाभ लिया जा
सकता है

क्या है आयुष्मान योजना ?

योजना में गंभीर किस्म (सेकेंडरी एवं tertiary रोग) बिमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, कुल्हा प्रत्यारोपण इत्यादि को भी शामिल किया गया है

लाभार्थियों की सुविधा के लिए योजना में १५०० से अधिक मेडिकल पैकेजेस जिसमे शल्य चिकित्सा (सर्जरी), मेडिकल सुविधा एवं डे केयर ट्रीटमेंट्स, जांच एवं परिक्षण तथा दवाइयां शामिल किये गए हैं

पहले से मौजूद बीमारियां भी इस योजना में शामिल की गयी हैं

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ

यह योजना पूरी तरह से निशुल्क (कैशलेस) तथा पेपरलेस है. एक बार लाभार्थी के चिन्हित हो जाने की प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार के कागज अथवा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

यह योजना एक पात्रता आधारित योजना है जिसमे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में १ .२६ करोड़ परिवार (८.४६ लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत जोड़े गए हैं) शामिल हैं जिसमे ६ करोड़ से अधिक सदस्य योजना के पात्र हैं

योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल लाभार्थी से किसी भी प्रकार की जांच परीक्षण, रक्त, भर्ती करने के नाम पर कोई भी शुल्क नहीं ले सकते है।

इस योजना का लाभ देश में कहीं भी लिया जा सकता है.

योजना के अंतर्गत पात्रता एवं उससे जुड़ी जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या परिवार के हर सदस्य को 5 लाख रुपैये का इलाज मुफ्त मिलेगा?

क्या कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है?

वर्त्तमान में मेरा नाम इस योजना में शामिल नहीं है, मैं अपना और परिवार का नाम इसमें कैसे शामिल करवा सकता हूँ?

इस योजना का पात्र बनने की क्या आवश्यकताएं हैं?

मेरे पास राशन कार्ड आधार कार्ड बी पी एल कार्ड भी है क्या मेरा नाम इसमें जुड़ सकता है?

मेरे पास इस योजना का कार्ड है पर मेरे ससुर की आयु 80 वर्ष है क्या उन्हें भी इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी?

एक परिवार के कितने लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं?

योजना की पात्रता

वर्तमान समय में ऐसे परिवार जो एस ई सी सी सेन्सस डाटा २०११ की अभावग्रस्तत्ता एवं ऑक्यूपेशनल आधार पर चिन्हित किये थे इस योजना में शामिल किये गए है।

वर्त्तमान समय में योजना में नाम शामिल करवाने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है

वर्त्तमान समय में केवल योजना में शामिल किये गए पात्र (एस ई सी सी 2011 में हुई जनगणना पर आधारित) ही योजना का लाभ उठा सकते हैं

योजना में परिवार के व्यक्तियों की संख्या, आयु सीमा एवं लिंग आधारित कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गयी है

याद रखने योग्य बातें

1

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की कोई आयु सीमा निसर्धारित नहीं की गयी है

2

परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं लगायी गयी है

3

योजना में लिंग के आधार पर भी कोई निर्धारण नहीं किया गया है

4

गंभीर रोगो जैसे कैंसर एवं एवं किडनी रोग आदि को भी शामिल किया गया है. को भी शामिल किया गया है

5

योजना में शामिल होने से पहले हुए रोगों का भी इस योजना के अंतर्गत उपचार कराने की सुविधा उपलब्ध

बेनेफिशरी आइडेंटिफिकेशन यानि लाभार्थी चिन्हित करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत पात्रता की पहचान

इस योजना में किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है. यह पूर्णतया पात्रता पर आधारित है

लाभार्थी किसी भी अनुबंधित सरकारी अथवा निजी (प्राइवेट) अस्पताल में अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, अथवा सर्कार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र ले जाकर अपनी पहचान एवं पात्रता सुनिश्चित कर सकता है. कोई भी लाभार्थी इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी पात्रता की पेहचान कर सकता है.

प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध आरोग्य मित्र पहचान के लिए आये हुए व्यक्ति से उसका फोटो पहचान पत्र ६ परिवार पहचान प्त्र / राशन कार्ड इत्यादि लेकर उसे एस ई सी सी डाटा से मिलान करेगा. लाभार्थी की पहचान हो जाने पर आरोग्य मित्र गोल्डन कार्ड लाभार्थी को प्रदान करेगा

लाभार्थी की पहचान एवं गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया

लाभार्थी को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए साथ लाने वाले अपने एवं परिवार के आवश्यक दस्तावेज

- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर ID कार्ड
- प्रधान मंत्री पत्र
- मुख्या मंत्री पत्र

गोल्डन कार्ड से संभन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना गोल्डन कार्ड बनवाना अनिवार्य है

योजना अंतर्गत अनुबंधित किसी भी अस्पताल में यह गोल्डन कार्ड बिलकुल नि:शुल्क बनाया जाता है

जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रदेश में जन सुविधा केन्द्रों को भी गोल्डन कार्ड बनाने हेतु अनुबंधित किया गया है. यह जन सुविधा केंद्र 30 रुपैये प्रति गोल्डन कार्ड सुविधा शुल्क की एवज में गोल्डन कार्ड बनाते हैं

चिन्हित लाभार्थी का अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही गोल्डन कार्ड में परिवर्तित होता है. इसमें एक से दो दिन का समय भी लग सकता है

पात्रता के बारे में जानने के लिए 24*7 उपलब्ध प्रदेश के कॉल सेंटर नंबर 1800 1800 4444 पर कॉल कर सकते हैं

पात्र लाभार्थी www:mera.pmjay.gov.in अथवा www:ayushmanup-in वबेसाइट पर जाकर अपने रजिस्टर्ड माबेाइल नबंर से अपनी पात्रता की जांच कर सकते है।

साचीज एवं सहयोगी संस्थाएं

दिशा निर्देशन एवं जनपदों में योजना के संचालन की देख रेख जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य जनपदीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित हैं

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का कुशल संचालन एवं दिशा निर्देशन का कार्य साचीस संस्था, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है.

इस योजना के संचालन एवं सामयिक कार्यों के निस्तारण हेतु कुछ और संस्थाएं जैसे इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जन सुविधा केंद्र इत्यादि भी शामिल हैं

फील्ड कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ANM इत्यादि का भी समय समय पर योजना में योगदान रहा है

साचीज एवं सहयोगी संस्थाएं

आशाओं द्वारा पूर्व में किये गए कार्य

01
प्रस्तावित लाभार्थियों की सूची का गांव स्तर पर सत्यापन (मार्च २०१८ में)

02
प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र का गाँव स्तर पर सफलतापूर्ण वितरण

03
आरोग्य कार्ड (प्लास्टिक कार्ड) का गाँव स्तर पर वितरण

04
प्रत्येक गाँव की लाभार्थी सूची के अनुसार लाभार्थी की पहचान

05
योजना के गोल्डन कार्ड एवं बनवाने एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने लाभार्थी का सहयोग

cu
LokLF
miy

आशाओं के लिए प्रस्तावित कार्य

अपने गांव के लाभार्थियों की सूची के अनुसार गोल्डन कार्ड से वंचित लाभार्थी परिवारों का गोल्डन कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान करना

गांव में बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में भी योजना के लाभार्थियों की पुष्टि कर उन्हें भी गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर सहायता प्रदान करना

किसी भी लाभार्थी को स्वस्थ्य सुविधा की आवश्यकता पड़ने पर पास की किसी भी सरकारी अथवा अनुबंधित निजी (प्राइवेट) अस्पताल में पूर्णतया निशुल्क उपचार प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना

अपने गांव के प्रत्येक लाभार्थी को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सही एवं पूरी जानकारी से अवगत करा कर योजना के प्रचार प्रसार एवं उपयोग को बढ़ावा देना

पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करवा के गोल्डन कार्ड बनवाना

लाभार्थी मरीज को आवश्यकतानुसार उपचार के लिए पास के अनुबंधित नजदीकी अस्पताल से स्वास्थ्य लाभ लेने की प्रक्रिया में सहयोग देना

फील्ड कार्यकर्ताओं से अपेक्षा

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की सही सही एवं पूरी जानकारी जनमानस तक पहुँचाना तथा लाभार्थियों में योजना के प्रति जागरूकता लाने में सहयोग करना

“दस्तक" अभियान के दौरान घर घर पहुंचकर संचारी रोगों की रोकथाम कार्यक्रम के साथ साथ एक दस्तक आयुष्मान की भी शामिल करना.

चिन्हित लाभार्थियों को पास के अनुबंधित अस्पताल, लाभार्थी सत्यापन कैम्प्स अथवा जन सुविधा केंद्रों से अपना एवं परिवार के अन्य सदस्यों का गोल्डन कार्ड बनवाने में सहयोग प्रदान करना

आशाओं से सहयोग

- अपने गांव की लाभार्थी सूची के अनुसार १०० प्रतिशत लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बन गया है यह सुनिश्चित करना
- यदि किसी लाभार्थी को इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो अनुबंधित अस्पतालों की सूची की सहायता से उचित अस्पताल तक पहुँचकर स्वस्थ्य लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना
- सुनिश्चित करना की लाभार्थी को अस्पताल में योजना में अनुबंधित पूर्णतया नि:शुल्क एवं सुविधाजनक तरीके से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो
- यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही हो तो अस्पताल के आरोग्य मित्र, कॉल सेंटर, की सहायता से समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहयोग करना

1

आरोग्य मित्र प्रत्येक योजना अनुबंधित अस्पताल में उपलब्ध योजना का प्रतिनिधि है।

2

फील्ड कार्यकर्ताओं एवं लाभार्थी दोनों के लिए योजना सम्बंधित कार्यों के लिए आरोग्य मित्र पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानि पहला संपर्क स्थल है।

3

अस्पताल में आये सभी रोगियों को लाभार्थी होने की पहचान हेतु स्क्रीन करना प्रत्येक आरोग्य मित्र का दायित्व है. पहले से चिन्हित लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड भी आरोग्य मित्र द्वारा हे निर्मित किया जाता है।

आरोग्य मित्र के दायित्व

- पात्र लाभार्थियों का सत्यापन एवं चिन्हित हो जाने पर उनका गोल्डन कार्ड बनाना
- लाभार्थी को इलाज की आवश्यकता होने पर अनुबंधित अस्पताल के मेडिकल कोऑर्डिनेटर के साथ संपर्क एवं समन्वय बनाना.
- उचित इलाज के पैकेज का चुनाव एवं प्रोसेस के अनुसार preauth का कार्य शुरू करना
- इलाज के पैकेज से संभन्धित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा अथवा अथॉरिटीज द्वारा पूछे गए प्रश्नो का समय के भीतर जवाब भेजना ताकि इलाज में देरी न हो
- सुनिश्चित करना की लाभार्थी को योजना के अंतर्गत पूर्णतया नि:शुल्क एवं संतोषजनक उपचार लाभ मिले

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की आशा

http://ayushmanup.in/pages.aspx?pt=video-gallery

ACCESS
health international

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

योजना को प्रदेश में घर घर तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद के साथ